

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 211]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 12 जून 2018 — ज्येष्ठ 22, शक 1940

कार्यालय कलेक्टर, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 18 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक/281/पंचायत/पंचा.अनु./2018. — जिला राजनांदगांव दिनांक 18 अप्रैल 2018 पंचायत संचालनालय छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक/पंचा./2018/224 दिनांक 13-04-2018 तथा छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक/823/पंचा./निर्वा./2014 रायपुर दिनांक 22-05-2014 में दिये गये निर्देशानुसार छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 125 के तहत जिले की जनपद पंचायत राजनांदगांव की ग्राम पंचायत पनेका का विभाजन कर उक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला राजनांदगांव के कलेक्टर द्वारा नीचे दर्शित सारणी (जिसे, इसके पश्चात् “सारणी” कहा गया है) के स्तम्भ (4) में दर्शाये गये गांव या गांवों के समूह के लिए जिसकी जनसंख्या सारणी के स्तम्भ (5) में दर्शायी गई है, सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित नाम से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए “ग्राम” के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है तथा सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

इस स्थापित ग्राम में अधिनियम की धारा 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन किया जायेगा. इस प्रकार गठित ग्राम पंचायतों को अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत वर्णित अधिनियम के प्रयोजन के लिये आवश्यक अन्य समस्त शक्तियां प्राप्त होगी.

सारणी

खण्ड का नाम	अनुक्रमांक	ग्राम का नाम	ग्राम के अंतर्गत आने वाले गांव/ गांवों का नाम	कुल जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	1	पनेका	पनेका योग -	1299 1299	42
राजनांदगांव	2	फरहद	फरहद योग -	1022 1022	42

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	3	बाकल	बाकल योग -	1168 1168	42

हस्ता./

(भीम सिंह)
कलेक्टर.

Rajnandgaon, the 18th April 2018

NOTIFICATION

Letter No. 281/Panchayat/Pan.Anu/2018. — Zila Panchayat Rajnandgaon dated 18th April, 2018 As per directions issued by Directorate of Panchayat, Chhattisgarh Raipur, vide letter number/pancha/2018/224 dated 13-04-2018 and Panchayat and Rural Development Department, Govt. of CG, Raipur vide letter number/823/pancha/elect./2014 dated 22-05-2014 and as per provisions of Panchayat Raj Act 1993, Section 125, Gram Panchayat Paneka of Janpad Panchayat, Rajnandgaon District Rajnandgaon shall be divided. Collector of Revenue District Rajnandgaon Subject to the provisions under Section 3 of above mentioned Act, a table is mentioned below (where is called after that “table”) where in column No. (4) shows the village or group of villages whose population is mentioned in column No. (5). Names mentioned in column No. (3) are specified as village to fulfill the purpose of above mentioned Act and is published for information of citizens.

As per provision of the above Act Section 8(A), new Gram Panchayat shall be formed. The new Gram Panchayats so formed herein, shall derive all its power vide Section 11 of Chhattisgarh Panchayat Raj Act.

TABLE

Name of Block	Serial No.	Name of Village	Village or group of Villages included in Village	Population	Patwari Circle Number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rajnandgaon	1	Paneka	Paneka Total -	1299 1299	42
Rajnandgaon	2	Farhad	Farhad Total -	1022 1022	42
Rajnandgaon	3	Bakal	Bakal Total -	1168 1168	42

Sd/-

(Bhim Singh)
Collector.